प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आगरा मण्डल, आगरा।

सेवा में,

उपनिदेशक सम्बद्वता
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी0बी0एस0ई0),
शिक्षा केन्द्र–2, कम्यूनटी सेन्टर, प्रीति विहार,
नई दिल्ली –110 301

पत्रांक– मान्यता/अ0मा0/ 5267 /2015–16 दिनांकः 11/01/2016

विषयः माही इन्टरनेशनल स्कूल, 825 ग्राम तेहरा, आगरा–ग्वालियर रोड, एन0एच0–3, आगरा–283 124 की सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे इसके सम्बन्ध में निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने से राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं हैः–

1. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्वता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्वता प्राप्त होने की तिथि से परिषद् से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेंगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गो के छात्रों को अनुमन शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।

Principal
MAHI INTERNATIONAL SCHOOL
NH-3 Tehra AGRA - 283124 (U.P.)

For Mahi Interna...
Chairman

10. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और समय-समय पर यदि यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया गया है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की शिथिलता वरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

Pradeep K

डा0 प्रदीप कुमार
संयुक्त शिक्षा निदेशक
आगरा मण्डल आगरा।

पृष्ठाकंन संख्या/मान्यता/ 5267 /2015-16 तद्दिनांक। 11/01/2016

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ।
2- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
5- प्रबन्धक, माही इन्टरनेशनल स्कूल, 825 ग्राम तेहरा, आगरा-ग्वालियर रोड, एन0एच0-3, आगरा-283124

Pradeep K

संयुक्त शिक्षा निदेशक
आगरा मण्डल आगरा।

Principal
MAHI INTERNATIONAL SCHOOL
NH - 3 Tehra AGRA - 283124 (U.P.)

For Mahi International School
Chairman